प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: २8 जुलाई, 2025

विषयः मुख्यमंत्री निपुण भारत एसोसिएट्स के अन्तर्गत नितान्त अस्थाई रूप से जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) का चयन संविदा के आधार पर जेम पोर्टल से चयनित सेवाप्रदाता के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक अधि0/जि0सम0(निपुण भारत) /1917/2025-26 दिनांक 18.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री निपुण भारत एसोसिएट्स के अन्तर्गत नितान्त अस्थाई रूप से जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) का चयन संविदा के आधार पर जेम पोर्टल से चयनित सेवाप्रदाता के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराय गया है।

2- इस संबंध में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निपुण भारत मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु शैक्षणिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक गतिविधियों एवं हितधारकों की सहभागिता में सहयोग देने हेतु प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में नितान्त अस्थाई रूप से प्रति जनपद 01 **जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) पद पर चयन की प्रक्रिया, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा तथा मानदेय निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-**

पद का नाम	**जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन)**
शैक्षिक अर्हता	• किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से MBA में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण अथवा PGDM अथवा Master in Management studies.
अनुभव	• किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्धन सम्बन्धी किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था/संस्थान में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। बी0एड0/एम0एड0 को वरीयता ।
आयु सीमा	• 21-45 वर्ष।
निर्धारित मानदेय	• रुपये 40,000/- प्रतिमाह नियत ।
चयन का प्रकार	• जेम पोर्टल से चयनित सेवाप्रदाता द्वारा ।

<u>जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) के पदों के चयन में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा –</u>

1- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा के आधार पर (जेम

पोर्टल से चयनित सेवाप्रदाता के माध्यम से) **जिला समन्वयक (<u>निपुण भारत मिशन</u>)** को आबद्ध किया जायेगा। सम्पूर्ण चयन/आबद्धीकरण की प्रक्रिया जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/ 2020/20/1/91-का-2/2020, दिनाँक 25 जून, 2020, श्रम अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-9/2020/717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020, दिनाँक 1 8 अगस्त, 2020, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31 /2020/273/18-02-2020-97 (ल०उ०)/2016टी.सी, दिनाँक 25 अगस्त, 2020 एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल०उ०)/2016 टी.सी, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जायेगी। शासनादेश दिनाँक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-7 (क) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "सेवाप्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये नये भर्ती किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिये पोर्टल से पांच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जायेगा।"

2- श्रम अनुभाग-6 के उक्त शासनादेश दिनाँक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-17 में निर्देश दिये गये है कि "उक्त चयन की कार्यवाही संबंधित विभाग को अवगत कराते हुये की जायेगी एवं चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता को संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त ही चयन को अंतिम करते हुये चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।" इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनाँक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-21 में यह निर्देश भी दिये गये हैं कि "सेवा प्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर विशिष्ट आई०डी० के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची का परीक्षण / सत्यनिष्ठा की जाँच की जा सकेगी। इस प्रकार आउटसोर्सिंग से भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।"

3- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक वरिष्ठ अधिकारी जो समूह 'क' से भिन्न न हो, की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय अभिलेख सत्यापन समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की स्पष्ट संस्तुति की जायेगी।

4- अभिलेख सत्यापन समिति के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा अभ्यर्थियों का दक्षता प्रमाणीकरण किया जायेगा और चयनित अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा की जांच की जायेगी। यह समिति Board Based होनी चाहिए, जिसमें Subject Matter Specialist जैसे-सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण आदि सदस्य होंगे। दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी का चयन कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सूची सेवा प्रदाता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता एजेन्सी को उपलब्ध कराये गये प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी को ऑफर लेटर दक्षता प्रमाणीकरण होने के दिन ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा दिये जायेंगे।

6- जनपद स्तर पर मैनपॉवर की तैनाती के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु भी व्यवस्था बनायी जायेगी, जिससे मैनपॉवर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे।

अतः उपर्युक्तानुसार जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्षता में जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुरूप पारदर्शितापूर्वक चयन की पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न कराकर जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) के पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 25-07-2025
16:52:47

(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0।
5- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
7- समस्त प्रचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।